

22 March - 1990

संख्या सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का दावत The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 1990/चैत्र 1, 1912
No. 117] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 1990/CHAITRA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वा जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

श्रद्धिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1990

सा.का.नि. 390 (अ) — क्यर उद्योग नियम, 1954 का संशोधन करने के
लिए एक प्रारूप नियम, क्यर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा
26 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास
विभाग) की श्रद्धिसूचना सं. सा.का.नि. 862 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 1989 के

853 GI/90

(1)

साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (2), तारीख 28 सितम्बर 1989 में प्रकाशित किया गया था। जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, ऐसी तारीख से, जिसको राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध कराई गई थी, 45 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 अक्टूबर, 1989 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्राप्ति के संबंध में उक्त अवधि के भीतर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्यर उद्योग (संशोधन) नियम, 1990 है।
2. क्यर उद्योग नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 6 (2)/89—क्यर]

एस.बी. महापात्र, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—

अधिसूचना का.नि.आ. 2226, तारीख 6 जुलाई, 1954 का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

का.नि.आ. 973 तारीख 29-4-1955।

का.नि.आ. 3669 तारीख 17-12-1955।

का.नि.आ. 3983 तारीख 12-12-1955।

का.नि.आ. 877 तारीख 9-4-1960।

सम.कम०नि. 1088 तारीख 18-6-1963।

का.आ. 1744 तारीख 6-5-1967।

का.आ. 2983 तारीख 21-7-1976।

सा.का.नि. 1122 तारीख 9-7-1976।

सा.का.नि. 1588 तारीख 28-9-1976, और

सा.का.नि. 2498 तारीख 30-5-1983

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1990

G.S.R. 390 (E).—WHEREAS the draft rules to amend the Coir Industry Rules, 1954, was published as required by sub-section (1) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. G.S.R. 862 (E), dated the 28th September, 1989 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 28th September, 1989, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date on which the said notification as published in the Official Gazette was made available to the public;

AND WHEREAS copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th October, 1989;

AND WHEREAS no objections or suggestions were received from the public on the said draft, within the said period;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

Rules

1. These rules may be called the Coir Industrial (Amendment) Rules, 1990.
2. In the Coir Industry Rules, 1954, in rule 8, sub-rule (2) shall be omitted.

[File No. 6 (2) 89-Coir]

S. B. MONAPATRA, Jt. Secy.

साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (2), तारीख 28 सितम्बर 1989 में प्रकाशित किया गया था। जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, ऐसी तारीख से, जिसको राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध कराई गई थी, 45 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 अक्टूबर, 1989 को जनता को उपलब्ध करावी गई थीं,

और उक्त प्राप्ति के संबंध में उक्त अवधि के भीतर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्यर उद्योग (संशोधन) नियम, 1990 है।
2. क्यर उद्योग नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 6 (2)/89-क्यर]

एस.बी. महापाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—

अधिसूचना का.नि.आ. 2226, तारीख 6 जूलाई, 1954 का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

का.नि.आ. 973 तारीख 29-4-1955।

का.नि.आ. 3669 तारीख 17-12-1955।

का.नि.आ. 3983 तारीख 12-12-1955।

का.नि.आ. 877 तारीख 9-4-1960।

सम.कम०नि. 1088 तारीख 18-6-1963।

का.आ. 1744 तारीख 6-5-1967।